



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 107

दर्ज तिथि:-07.04.2025

1. जेठाराम पुत्र खीयाराम
जाति विश्नोई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. गंगादेवी पुत्री खीयाराम पत्नी रामलाल
जाति विश्नोई निवासी गोगाजी का थान, नगर तहसील गुडामालानी
2. भाखराराम पुत्र खीयाराम
जाति विश्नोई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री मुकेश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 352/0.0324 है0, 353/2/14.7629 है0, वाके ग्राम जंभेश्वर नगर एवं संयुक्त आराजीखसरा संख्या 241/21.2136 है0 वाके ग्राम सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के




हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बाद असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 26.05.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई।
3. तत्पश्चात प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1656 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन तैयार करने के आदेश दिये गये थे। परंतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 का पालन किये बिना विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी को एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2025 को दिया गया लेकिन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पुनः मौका निरीक्षण नहीं किया गया। खसरा संख्या 353/2 मौजा जम्भेश्वर नगर का खेत मुख्य सड़क गुड़ामालानी से बाड़मेर जाने वाली पर स्थित होने से किमती भूमि में आनुपातिक आधार पर समस्त पक्षकारों का बंटवारा किया जावे। साथ ही नजरी नक्शा प्रस्तुत कर उसी अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रकरण में उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौराने जिरह निवेदन किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1656 दिनांक 14.11.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 30.10.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2528-2530 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 30.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2528-2530 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 30.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादी ने तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 2528-2530 दिनांक 17.09.2025 द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण की दिनांक 30.10.2025 से पूर्वसूचित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है। वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 352/0.0324 है0, 353/2/14.7629 है0, वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 241/21.2136 है0 वाके ग्राम सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है।
6. उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान सभी पक्षकारान उपस्थित रहे तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मौके पर ही तैयार किया गया। प्रकरण में नजरी नक्शा निम्न प्रकार है-



7. प्रकरण में उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का

गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु

अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 352/0.0324 है0, 353/2/14.7629 है0, वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 241/21.2136 है0 वाके ग्राम सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा(है0)	किस्म
जेठाराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	जम्भेश्वर नगर	353 / 2	7.3976	बा0दो0
		सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी	241	10.6068	बा0दो0
किता 02 रकबा 18.0044 है0					
गंगादेवी पुत्री खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	2 / 5	जम्भेश्वर नगर	352 353 / 2	0.0324 7.3653	गै0मु0 बा0दो0
भाखराराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	2 / 5	सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी	241	10.6068	बा0सो0
किता 02 रकबा 18.0045 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 107

दर्ज तिथि:-07.04.2025

1. जेठाराम पुत्र खीयाराम
जाति विश्नोई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. गंगादेवी पुत्री खीयाराम पत्नी रामलाल
जाति विश्नोई निवासी गोगाजी का थान, नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखराराम पुत्र खीयाराम
जाति विश्नोई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री मुकेश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 352/0.0324 है0, 353/2/14.7629 है0, वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 241/21.2136 है0 वाके ग्राम सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य

राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए
अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के
आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा(है0)	किस्म
जेठाराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	353 / 2	7.3976	बा0दो0
		सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी	241	10.6068	बा0दो0
किता 02 रकबा 18.0044 है0					
गंगादेवी पुत्री खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	2 / 5	जंभेश्वर नगर	352	0.0324	गै0मु0
			353 / 2	7.3653	बा0दो0
भाखराराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	2 / 5	सोनाणी विश्नोईयों की ढाणी	241	10.6068	बा0सो0
किता 02 रकबा 18.0045 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी